F.No. 15-94/1/NMA/HBL-2021

Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Temple of Vishnu, Bishenpur, District-Bishnupur, Manipur" have been prepared by the Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

i. National Monuments Authority **www.nma.gov.in**
ii. Archaeological Survey of India **www.asi.nic.in**
iii. Archaeological Survey of India,Guwahati Circle **www.asiguwahaticircle.gov.in**

2. Any person having any objections or suggestion may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID **hbl-section@nma.gov.in** latest by 9th September, 2021. The person making objections or suggestion should also give his name and address.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 9th September, 2021, consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

(N.T.Paite)
Director, NMA
11th August, 2021

भारतसरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye Laws for **Temple of Vishnu, Bishenpur, District-Bishnupur, Manipur**

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष विधि विनिर्माण और सक्षम -धरोहर उप) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय (22) के नियम 2011 नियम (प्राधिकारी के अन्य कार्य स्थल और अवशेष अधिनियम, ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 की धारा 1958, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, संस्मारक **"विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर"** के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप विधि जिन्हें-"भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास" (इनटेक) के साथ परामर्श करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य) निष्पादन(, नियमावली, के नियम 2011 18, उप नियम द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत् (2)रित करने के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), ,24तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई मेल किया जा सकता हैं।-

उक्त प्रारूप उपविधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले - प्राप्त आपत्ति या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप धरोहर उप विधि-

अध्याय ।

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-:

(i) इन उपविधियों को कें-द्रीय संरक्षित स्मारक, **"विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर'** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उपविधि-2021,कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.1 परिभाषाएं -:

(1) इन उपविधियों में-, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-:

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैलमूर्ति-, शिलालेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक-, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिकया पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषअधिनियम, 1958 (24 का 1958)है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद का नहीं है (श्रेणी);

(.ड) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा च के अधीन20गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा ग20, ङ 20 घ और20 कर सकेगी के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी

निर्माण:विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों,मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिएनिर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;]

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (पीठिका क्षेत्र) से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (.आर.ए.एफ) अभिप्रेत है के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से (प्लाट) भूखंड;

तल क्षेत्र अनुपात भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र =;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हकउत्तराधिकारी-, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित 20 किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र 20 अभिप्रेत है;

(थ) "पुननिर्माण:" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएंसमान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं होंगे।:

(2)इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय ॥

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,की पृष्ठभूमि 1958 अधिनियम (एएमएएसआर), 1958

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष(धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए पैरामीटर का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार

का काम कराना चाहता है, जैसा भी स्थिति हो,ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करसकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण,अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है,जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम,2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय - III

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारक - "विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर"का स्थान एवं अवस्थिति

3. संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति: -

- यह संस्मारक जीपीएस निर्देशांक 24°37’59.88’’ उत्तरी अक्षांश, एवं 93°46’0.12’’ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

मानचित्र 1: ***संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र सहित, विष्णु मंदिर, स्थान -बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर क स्थल को दर्शाता गूगल मानचित्र***

- यह संस्मारक मणिपुर के जिले विष्णुपुर में पड़ता है, जो मुख्य शहर इम्फाल से 27 किमी. की दूरी पर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से भली-भांति जुड़ा हुआ है जो कि संस्मारक से पूर्व की ओर 350 मीटर की दूरी पर है।
- इम्फाल के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, किन्तु जिरिबाम (मणिपुर) और दीमापुर (नागालैन्ड) में संस्मारक से लगभग क्रमशः 178 किमी. (उत्तर-पश्चिम) और 234 किमी (उत्तर) की दूरी पर निकटस्थ रेलवे स्टेशन हैं।
- निकटस्थ अन्तर्राज्य बस टर्मिनल, विष्णुपर संस्मारक के उत्तर में लगभग 950 मीटर की दूरी पर है। बीर टिकेन्द्रजीत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल संस्मारक के उत्तर-पूर्व में लगभग 22.4 किमी की दूरी पर निकटस्थ हवाई अड्डा है।

3.1 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

'केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक -विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर की संरक्षित सीमाएं अनुलग्नक-I में देखी जा सकती हैं।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) के अभिलेख (रिकार्ड) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर की अधिसूचना को अनुलग्नक- II पर देखा जा सकता है।

3.2 संस्मारक का इतिहास:

इस मंदिर को 1467 ई. में राजा क्याम्बा (1467-1508 ई.) द्वारा बनवाया गया था। थवाई निंगथाउबा पुत्र राजा निंग थाउकोम्बा 24 वर्ष की आयु 1470 ई. में सिंहासनारुढ़ हुआ था। राजा थवाई निंगथाउबा ने ऊपरी बर्मा के पोंग के राजा, राजा चौफा खेखोम्बा के सहयोग से बर्मा की काबो घाटी में स्थित शान राज्य के राजा क्यांग को हराया था। युद्ध के पश्चात्, राजा थवाई निंगथाउबा ने क्याम्बा, क्यांग के विजेता की उपाधि धारण की। एक संधि के द्वारा, विजित प्रदेश को उनके मध्य समान रूप से विभाजित कर दिया गया और दोनों राजाओं के बीच उपहारों का आदान-प्रदान किया गया। पोंग के राजा के द्वारा दिए गए उपहारों में विष्णु की एक छोटी प्रतिमा भी थी। यह प्रतिमा मूल रूप से मणिपुर की थी और युद्ध की जीत के प्रतीक के रूप में केखोम्बा के पूर्ववर्ती द्वारा छीन ली गई थी। यह बताया जाता है कि राजा क्याम्बा को पोंग के राजा खेखोम्बा से विष्णु प्रतिमा वापस प्राप्त हो गई थी। विष्णु की प्रतिमा को पुरानी राजधानी विष्णुपुर (लमांगडोंग) में ईंट-निर्मित मंदिर में स्थापित किया गया था। प्रतिमा की स्थापना के पश्चात्, लमांगडोंग का नाम विष्णुपुर अथवा बिशेनपुर हो गया था।

कुछ विद्वानों का दावा है कि मंदिर राजा चरायरोंगबा (1697-1709 ई.) से संबंधित है। इस मत के अनुसार, राजा चरायरोंगबा ने वैष्णव धर्म में दीक्षा ली थी और वह विष्णु एवं उनके अवतारों की आराधना करते थे। राजशाही के अभिलेख में क्याम्बा के काल में विष्णु प्रतिमा और विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख नहीं है। राजा क्याम्बा पारम्परिक धर्म का अनुपालन करता था और उसने वैष्णव धर्म में दीक्षा नहीं ली थी और पोंग के राजा, राजा चौफा खेखोम्बा भी वैष्णव नहीं थे। राज्यशाही के अभिलेख में क्याम्बा के राज्यकाल में घर और महल के निर्माण के लिए ईंटों के प्रयोग का उल्लेख नहीं है, उस काल में फूस के छप्पर, बाँस और लकड़ी ही होती थी, ईंटें उपलब्ध नहीं थी। महल और मंदिर के निर्माण के लिए, राजा चरायरोंगबा के राज्यकाल में पहली बार ईँट निर्माणशाला (चेकसैंग) और बड़े पैमाने पर ईंटों के प्रयोग की शुरुआत हुई थी। चरायरोंगबा के राज्यकाल में अनेक बर्मी मिस्त्रियों का मणिपुर में आगमन हुआ था। उन्होंने मंदिरों और महलों के निर्माण में सहायता की थी, जो मणिपुर में महत्वपूर्ण इमारतों की शुरुआत को चिह्नित करता है। विष्णु मंदिर की ईंटों की शैली और आकार चरायरोंगबा के राज्यकाल के ईंट निर्माणकार्यों से अधिक मेल खाती हैं, विशेषकर ऊपरी निर्माण जो बंगाली-झोपड़ी का प्रतिरूप है।

3.3 संस्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि) :

मंदिर की रूपरेखा वर्गाकार है और यह एक थोड़ा-सा ऊपर उठाए गए अधिष्ठान पर खड़ा है। यह भगवान विष्णु को समर्पित था, परन्तु अब गर्भगृह में कोई प्रतिमा विद्यमान नहीं है। मंदिर के ढांचे में अधिष्ठान (नींव), जंघा (भित्ति),मंदिर की दीवार और ढांचा, आयताकार अन्तरालों वाला वर्गाकार गर्भगृह टोड़े के सहारे वाली छत से ढका हुआ दक्षिण-मुखी आयताकार प्रवेश का बरामदा शामिल है। पवित्र गृभगृह की छत में केन्द्रीय धूरी तक जाते हुए ईंटों को साथ-साथ रखते हुए अन्दर की ओर मेहराब दी गई है। इस मंदिर की वास्तुशिल्पीय शैली काफी हद तक वही है जो शुरुआती मध्य कालीन बर्मा की इमारतों में अपनायी गई है। मंदिर का निर्माण चूने के गारा और पक्की ईंटों से हुआ है।

3.4 वर्तमान स्थिति :

3.4.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति का मूल्यांकन :

यह संस्मारक परिरक्षण की अच्छी स्थिति में है।

3.4.2 प्रतिदिन आने वाले एवं कभी- कभार एकत्र होने वाले आगंतुकों की संख्या

प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों की औसत संख्या 10-30 है। इस संस्मारक में कोई अन्य अवसरानुकूल जनसमूह एकत्र नहीं होता है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में, विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई है

4. स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में, विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई है:

यह संस्मारक विष्णुपुर नगर परिषद् के वार्ड संख्या 6 के अंतर्गत आता है। हालांकि, इस संस्मारक के लिए राज्य सरकार के अधिनियमों और विधियों में कोई क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है।

4.1 स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशानिर्देश :

इन्हें **अनुलग्नक-III** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड (अभिलेख) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21(1)/ टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना।

5.0 विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुरकी रूपरेखा योजना:

इसे अनुलग्नगक-**IV** में देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षण से प्राप्त किए गए आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- संरक्षित क्षेत्र (लगभग): 2123.342 वर्गमीटर (0.52 एकड़)
- प्रतिषिद्ध क्षेत्र (लगभग): 50346.133 वर्गमीटर (12.44एकड़)
- विनियमित क्षेत्र(लगभग): 291665.163 वर्गमीटर (72.07 एकड़)

कुछ विशिष्टताएं:

यह विष्णु मंदिर विष्णुपुर, मणिपुर के केन्द्र में अवस्थित है। संस्मारक का निकटस्थ क्षेत्र कृषि से संबंधित है, हालांकि संस्मारक पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में कंक्रीट की पक्की आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक - अर्ध सार्वजनिक भवनों से घिरा हुआ है।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र</u>

- **उत्तर:** इस दिशा में एक मंजिला भवन, पक्की सड़क, ट्यूब वैल, नाला, प्रकाश स्तंभ, बिजली का खम्बा और पेड़-पौधों वाले बहुत थोड़े से खुले स्थान हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आवासीय भवन हैं।

- **दक्षिण:** इस दिशा में एक मंजिला इमारतें, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक भवन, खेत, पक्की सड़क, ट्यूब वैल, नाला, प्रकाश स्तंभ, बिजली का खम्बा और पेड़-पौधों वाले खुले स्थान हैं।
- **पूर्व:**इस दिशा में एक मंजिला भवन, पक्की सड़क, ट्यूब वैल, नाला, प्रकाश स्तंभ, बिजली का खम्बा, संचार टॉवर और पेड़-पौधों वाले बहुत थोड़े से खुले स्थान हैं। इस इलाके में मुख्य रूप से आवासीय भवन हैं।
- **पश्चिम:** इस दिशा में एक मंजिला भवन, पक्की सड़क, ट्यूब वैल, नाला, प्रकाश स्तंभ, बिजली का खम्बा और पेड़-पौधों वाले बहुत थोड़े से खुले स्थान हैं। इस में मुख्य रूप से आवासीय भवन हैं।

<u>विनियमित क्षेत्र</u>

- **उत्तर:** इस दिशा में एक मंजिला भवन, पक्की सड़क, थौंगियाओरोक नदी, ट्यूब वैल, नाला, प्रकाश स्तंभ, बिजली का खम्बा और पेड़-पौधों वाले बहुत थोड़े से खुले स्थान हैं। इस इलाके में मुख्य रूप से आवासीय भवन हैं।
- **उत्तर-पूर्व:** इस दिशा में एक मंजिला भवन, प्राथमिक स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, पक्की सड़क, थौंगियाओरोक नदी, थौंगियाओरोक पुल, जगन्नाथ मंदिर, ट्यूब वैल, नाला, प्रकाश स्तंभ, बिजली का खम्बा और पेड़-पौधों वाले बहुत थोड़े से खुले स्थान हैं। इस इलाके में मुख्य रूप से आवासीय भवन हैं।
- **दक्षिण:** 3 मीटर ऊँचे ढांचे और कुछेक भवन, सेना परिसर, लैनिंगथाउ खाद्य उत्पादन (शॉपिंग सैन्टर), तालाब (जलाशय), खेत, पक्की सड़क, ट्यूब वैल, नाला, प्रकाश स्तंभ, बिजली का खम्बा और थोड़े-से पेड़-पौधों वाले खुले स्थान हैं।
- **दक्षिण-पूर्व:** इस दिशा में विष्णुपुर न्यायालय, एस.पी. कार्यालय, सेना परिसर, एबुधाउ मायन्गम्बा लाईबुंग मंदिर, लाइट का खम्बा, बिजली का खम्बा, नाला और पेड़-पौधों वाले खुले स्थान विद्यमान हैं।
- **पूर्व:** इस दिशा में एक मंजिला इमारतें, विष्णुपुर पुलिस स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, पक्की सड़क, खेत, ट्यूब वैल, नाला, प्रकाश स्तंभ, बिजली का खम्बा, और पेड़-पौधों वाले बहुत थोड़े-से खुले स्थान हैं। इस इलाके में मुख्य रूप से आवासीय भवन हैं।
- **पश्चिम:** इस दिशा में एक मंजिला इमारतें, खेत, पक्की सड़क, कुण्ड/जलाशय, नाला, प्रकाश स्तंभ, बिजली का खम्बा और पेड़-पौधे युक्त खुले स्थान हैं।

5.1.3 हरित/खुले क्षेत्रों का विवरणः

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र</u>

- **उत्तरः** इस दिशा में हरियाली उगे हुए बहुत थोड़े से खुले स्थान विद्यमान हैं।
- **पूर्वः** इस दिशा में हरियाली उगे हुए बहुत थोड़े से खुले स्थान विद्यमान हैं।

- **दक्षिणः** इस दिशा में खेती योग्य भूमि, कुण्ड/जलाशय और हरियाली उगे खुले स्थान विद्यमान हैं।
- **पश्चिमः**इस दिशा में हरियाली उगे हुए बहुत थोड़े से खुले स्थान विद्यमान हैं।

<u>विनियमित क्षेत्र</u>

- **उत्तरः** इस दिशा में थोंगियोरोक नदी और हरियाली उगे बहुत थोड़े से खुले स्थान विद्यमान हैं।
- **दक्षिणः** इस दिशा में खेती योग्य भूमि, कुण्ड/जलाशय और हरियाली उगे खुले स्थान विद्यमान हैं।
- **पूर्वः** इस दिशा में खेती योग्य भूमि, कुण्ड/जलाशय और हरियाली उगे खुले स्थान विद्यमान हैं।
- **पश्चिम:** इस दिशा में खेती योग्य भूमि, कुण्ड/जलाशय और पेड़-पौधे युक्त खुले स्थान विद्यमान हैं।

5.1.4. परिसंचरण के अंर्तनिहित आवृत्त क्षेत्र - सड़क, पैदलपथ आदि।

संस्मारक की प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों परिसीमाओं में अनेक कच्चे मार्ग और पक्की सड़कें मौजूद हैं जो आसपास के क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-2 संस्मारक के पूर्व में 350 मीटर की दूरी पर है।

5.1.5. भवन की ऊंचाई :

- **उत्तर**: अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर है।
- **दक्षिण**: अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर है।
- **दक्षिण-पूर्व**: अधिकतम ऊंचाई 9 मीटर है।
- **पूर्व**: अधिकतम ऊंचाई 9 मीटर है।
- **पश्चिम**: अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर है

5.1.6. प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य द्वारा संरक्षित संस्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन, यदि उपलब्ध हों:

प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य द्वारा संरक्षित कोई संस्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन उपलब्ध नहीं हैं।

5.1.7. सार्वजनिक सुविधाएं:

संस्मारक के भीतर आगंतुकों के लिए परस्पर जुड़े पैदलमार्ग और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बैन्च लगे हैं और शौचालय उपलब्ध हैं।

5.1.8. संस्मारक तक पहुंच:

संस्मारक तक पक्की सड़क के माध्यम से पूर्वी द्वार से पहुँचा जा सकता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नं.2 से जुड़ा है, जो संस्मारक के पूर्व में 350 मीटर की दूरी पर है। परिवहन के मुख्य साधन मोटरसाइकल, स्कूटर, साइकल, कार, ऑटो रिक्शा आदि हैं।

5.1.9. अवसंरचनात्मक सेवाएं (जलापूर्ति, झंझाजल अपवाह तंत्र, जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

संस्मारक के निकट नाले, गली की लाइटों को छोड़कर कोई अन्य अवसंरचनात्मक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि संस्मारक के बाहर मुख्य गेट के पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

5.1.10.स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

इस संस्मारक के संबंध में स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में कोई क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है।

संस्मारक के आसपास के क्षेत्र के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है:

i. मणिपुर नगर पालिका अधिनियम, 1994
ii. विष्णुपुर नगर पालिक भवन उप-विधि, 2000।

अध्याय VI

संस्मारक का स्थापत्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0. स्थापत्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

<u>ऐतिहासिक महत्व</u>

इस मंदिर को 1467 ई. में राजा क्याम्बा (1467-1508) द्वारा बनवाया गया था। थवाई निंगथाउबा पुत्र राजा निंगथाउकोम्बा 24 वर्ष की आयु में सिंहासनारुढ़ हुआ था। 1470 ई. में, राजा थवाई निंगथाउबा ने ऊपरी बर्मा के पोंग के राजा, राजा चौफा खेखोम्बा के सहयोग से बर्मा की काबो घाटी में स्थित शान राज्य के राजा क्यांग को हराया था। युद्ध के पश्चात्, राजा थवाई निंगथाउबा ने क्याम्बा, क्यांग का विजेता की उपाधि धारण की। एक संधि के द्वारा, विजित प्रदेश को उनके मध्य समान रूप से विभाजित कर दिया गया और दोनों राजाओं के बीच उपहारों का आदान-प्रदान किया गया। पोंग के राजा के द्वारा दिए गए उपहारों में विष्णु की एक छोटी प्रतिमा भी थी। यह प्रतिमा मूल रूप से मणिपुर की थी और युद्ध की जीत के प्रतीक के रूप में केखोम्बा के पूर्ववर्ती द्वारा छीन ली गई थी। यह बताया जाता है कि राजा क्याम्बा को पोंग के राजा खेखोम्बा से विष्णु प्रतिमा वापस प्राप्त हो गई थी। विष्णु की प्रतिमा को पुरानी राजधानी विष्णुपुर (लमांगडोंग) में ईंट-निर्मित

मंदिर में स्थापित की गई थी। प्रतिमा की स्थापना के पश्चात्, लमांगडोंग का नाम विष्णुपुर अथवा बिशेनपुर हो गया था।

कुछ विद्वानों का दावा है कि मंदिर राजा चरायरोंगबा (1697-1709 ई.) से संबंधित है। इस मत के अनुसार, राजा चरायरोंगबा वैष्णव धर्म में दीक्षा ली थी और विष्णु एवं उनके अवतारों की आराधना करते थे। राजशाही के अभिलेख में क्याम्बा के काल में विष्णु प्रतिमा और विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख नहीं है। राजा क्याम्बा पारम्परिक धर्म का अनुपालन करता था और उसने वैष्णव धर्म में दीक्षा नहीं ली थी और पोंग के राजा, राजा चौफा खेखोम्बा भी वैष्णव नहीं थे। राज्यशाही के अभिलेख में क्याम्बा के राज्यकाल में घर और महल के निर्माण के लिए ईंटों के प्रयोग का उल्लेख नहीं है, उस काल में फूस के छप्पर, बाँस और लकड़ी ही होती थी, ईंटें उपलब्ध नहीं थी। महल और मंदिर के निर्माण के लिए, राजा चरायरोंगबा के राज्यकाल में पहली बार ईंट निर्माणशाला (चेकसैंग) और बड़े पैमाने पर ईंटों के प्रयोग की शुरुआत हुई थी। चरायरोंगबा के राज्यकाल में अनेक बर्मी मिस्त्रियों का मणिपुर में आगमन हुआ था। उन्होंने मंदिरों और महलों के निर्माण में सहायता की थी, जो मणिपुर में महत्वपूर्ण भवनों के प्रारंभ को चिह्नित करता है। विष्णु मंदिर की ईंटों की शैली और आकार चरायरोंगबा के राज्यकाल के ईंट निर्माणकार्यों से अधिक मेल खाती हैं, विशेषकर ऊपरी निर्माण जो बंगाली-झोपड़ी का प्रतिरूप है।

<u>पुरातात्विक महत्व</u>

मंदिर की रूपरेखा वर्गाकार है और यह एक थोड़ा-सा ऊपर उठाए गए अधिष्ठान पर खड़ा है। यह भगवान विष्णु को समर्पित था, परन्तु अब गर्भगृह में कोई प्रतिमा विद्यमान नहीं है। मंदिर के ढांचे में अधिष्ठान (नींव); जंघा (भित्ति); मंदिर की दीवार और ढांचा; आयताकार अन्तरालों वाला वर्गाकार गृभगृह; टोड़े के सहारे वाली छत से ढका हुआ दक्षिण-मुखी आयताकार प्रवेश का बरामदा शामिल है। पवित्र गृभगृह की छत में केन्द्रीय धूरी तक जाते हुए ईंटों को साथ-साथ रखते हुए अन्दर की ओर मेहराब दी गई है। इस मंदिर की वास्तुशिल्पीय शैली काफी हद तक वही है जो शुरुआती मध्यकालीन बर्मा की भवनों में अपनायी गई है। मंदिर का निर्माण चूने के गारा और पक्की ईंटों से हुआ है।

6.1. संस्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ: विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

यह संस्मारक कम ऊँचाई की झोपड़ियों/ढांचों से घिरा हुआ है। शहर की आबादी के बढ़ने के कारण, हाल के वर्षों में अनेक नए निर्माण कार्य हो चुके हैं।

मणिपुर भारत के भूकम्पीय मानचित्र पर अत्यधिक उच्च भूगर्भीय हलचल वाले क्षेत्र में पड़ता है (0.35-0.4$_g$के क्रम के स्तर वाले खतरे का, क्षेत्र 5)

6.2. संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से दृश्यता- यह संस्मारक प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से आंशिक रूप से ही दिखाई देता है।

संस्मारक से दृश्यता-

कम ऊँचाई के पक्के घरों और कुछ हरियाली युक्त खुले स्थानों को देखा जा सकता है।

6.3. भूमि-उपयोग की पहचान करना :

पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में कुछ मीटर तक संस्मारक के आसपास के क्षेत्र का उपयोग आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक प्रयोजनों से किया जाता है। इसके आगे का क्षेत्र कृषि की प्रकृति का है, जिसकी सभी दिशाओं में कृषि भूमियां हैं।

6.4. संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

संस्मारक के निकट संरक्षित संस्मारक के अलावा कोई अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष नहीं है।

6.5. सांस्कृतिक परिदृश्य:

संस्मारक के आसपास सांस्कृतिक -परिदृश्य आधुनिक निर्माण के कारण समाप्त हो चुका है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और पर्यावरण प्रदूषण से संस्मारकों को संरक्षित करने में भी मदद करते हैं:

संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में खेतों की मौजूदगी के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण कम है।

6.7. खुले स्थान और निर्माण का उपयोग:

संस्मारक के निकट के क्षेत्र का प्रयोग मुख्य रूप से आवासीय और कुछेक व्यावसायिक प्रयोजनों से किया जाता है। संस्मारक के निकटस्थ इलाके में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक इमारतें जैसे कि पुलिस स्टेशन, कोर्ट भी मौजूद हैं। इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती भी की जाती है।

6.8. परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां:

कोई पारम्परिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां संस्मारक से जुड़ी हुई नहीं है। वर्तमान में, मंदिर में कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है और अब इसमें आराधना नहीं की जाती है।

6.9. संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से से दिखाई देने वाला क्षितिज:

कम ऊँचाई वाले आवासीय मकान देखे जा सकते हैं।

6.10.पारंपरिक वास्तुकला:

संस्मारक के आसपास कोई पारम्परिक वास्तुकला विद्यमान नहीं है।

6.11.स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

स्थानीय प्राधिकरणों के पास कोई विकास योजना नहीं है।

6.12 भवन से संबंधित मापदंड:

(क) स्थल पर निर्माण की ऊँचाई (छत संरचना जैसे मम्टी, पैरापेट आदि सहित): संस्मारक के विनियमित क्षेत्र की सभी इमारतों की ऊँचाई 9.0 मीटर (सभी समावेशी) तक सीमित रहेगी।

(ख) तल क्षेत्र: तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार होगा।

(**ग) उपयोग:** स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(घ) **अग्रभाग रचना:**

- अग्रभाग को संस्मारक के परिवेश से मिलता जुलता होना चाहिए।
- सामने की सड़क के किनारों या सीढ़ी वाले कक्ष के साथ फ्रेंच दरवाजे और बड़े कांच के अग्रभाग की अनुमति नहीं होगी।

(ङ) छत डिजाइन:

निम्नलिखित ढलुवाँ छत के डिजाइन को प्रयोग में लाया जा सकता है:

- नलीदार चद्दरों की छत से ढके मकान
- फूस के छप्पर और बाँस के खम्बों से बनी छत वाले मकान।

(च) भवन निर्माण सामग्री: पारंपरिक सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

(छ) रंग: संस्मारक के साथ मेल खाने वाले हल्के रंगों का प्रयोग किया जाएगा।

6.13 आगंतुक हेतु सुख-सुविधाएं:

स्थल पर आगंतुकों हेतु सुख-सुविधाएं जैसे रात में रोशनी, शौचालय, कैफेटेरिया, पेयजल, वाई-फाई, दिव्यांगजन के लिए रैम्प और ब्रेल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां :

(क) इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक)

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) प्रक्षेपण (सप्रोजेक्शं)

- सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक (साइनेज)

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज़ अथवा डिजिटल चिह्नों .डी.ई.के लिए एल (सूचनापट्ट) धिक परावर्तक रासायनिक अत्यअथवा किसी अन्य(सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा मेलों आदि के लिए इन्हें/ सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन(होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "Temple of Vishnu, Bishenpur, District- Bishnupur, Manipur", prepared by the Competent Authority, are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected Monument Temple of Vishnu, Bishenpur, District- Bishnupur, Manipur.

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions:

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2. Background of the Act: -The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.
(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.
(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument - Temple of Vishnu, Bishenpur, District- Bishnupur, Manipur

3. Location and Setting of the Monument:

- The monument is located at GPS Coordinates - **24° 37′ 59.88″ N, 93° 46′ 0.12″ E.**

Map 1: Google map showing location of – —Temple of Vishnu, along with Protected, Prohibited and Regulated Area, Locality- Bishenpur, District – Bishnupur, Manipur

- The monument lies in the Bishnupur district of Manipur, which is 27 kms away from the main city Imphal. It is well connected to NH2, which is 350m to the east of the monument.
- There is no direct train service to Imphal, but the nearest Railway Stations are Jiribam (Manipur) and Dimapur (Nagaland) at a distance of about 178 km (north-west) and 234 km (north) of the monument respectively.

- Inter-state Bus Terminal, Bishnupur, is the nearest at a distance of about 950 m to the north of the monument. Bir Tikendrajit International Airport, Imphal, is the nearest Airport, at a distance of about 22.4 km north-east of the monument.

3.1 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of the Centrally Protected Monument-Temple of Vishnu, Bishenpur, District- Bishnupur, Manipur may be seen at **Annexure-I.**

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Notification of Temple of Vishnu, Bishenpur, District- Bishnupur, Manipur may be seen at **Annexure-II**.

3.2 History of the Monument:

The temple was built by King Kyamba (1467-1508 CE) in 1467 CE. Thawai Ningthouba, son of King Ning Thoukhomba ascended the throne at the age of 24. In 1470 CE, King Thawai Ningthouba with the alliance of King Choupha Khekhomba, King of Pong, upper Burma, defeated the king of Kyang of Shan Kingdom in the Kabow valley, Burma. After the end of the war, King Thawai Ningthouba assumed the title of Kyamba, the conqueror of Kyang. By a treaty, the conquest was equally divided between them and gifts were exchanged between the two kings. Among the presents given by the King of Pong, there was a little image of Vishnu. This image originally belonged to Manipur and was then taken away by Kekhomba's predecessor as war trophies. It is reported that King Kyamba received back the Vishnu image from Khekhomba, the King of Pong. The Vishnu image was installed in a masonry temple at Vishnupur (Lamangdong), the old capital. After installation of the image, the Lamangdong came to be known as Bishnupur or Bishenpur.

Some scholars claim that the temple belonged to King Charairongba (1697- 1709 CE) According to this theory, King Charairongba initiated to Vaishnavism and worshiped Vishnu and its incarnation. The royal chronicle did not mention the presentation of Vishnu image and construction of Vishnu temple during the Kyamba period. King Kyamba was the follower of the traditional religion and he did not initiate to Vaishnavism as well as King Choupha Khekhomba, the king of Pong, was also not a Vaishnavite. The royal chronicle did not mention the used of bricks during the Kyamba period for the construction of house and palace, bricks were not available at that time, except thatch, bamboo and wood. For the first time brick factory (chekshang) and use of bricks on a large scale began during the reign of King Charairongba for the construction of palace and temple. Many Burmese mason (craftsmen) visited Manipur during the reign of Charairongba. They helped in the construction of temples and palace, which marked the beginning of the monumental architecture in Manipur. The styles and sizes of the brick of Vishnu temple are more similar with other brick works of Charairongba's period, particularly its super structure which copied from Bengali-hut type.

3.3. Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The temple is square on plan and stands on a slightly raised platform. It was dedicated to Lord Vishnu, but the image is no longer placed in the sanctum. The temple structure consists of Adhisthana (basement); Jangha (bhitti); wall and body of the temple; square garbhagriha with rectangular antarala; rectangular entrance porch facing south covered by a corbelled roof. The ceiling of the sanctum hall is curved inward by the juxtaposition of bricks until it comes to central axis. The architectural style of this temple is very much akin to that of style adopted in the buildings of Burma of the early medieval period. The temple is built of burnt bricks and lime mortar.

3.4 Current Status

3.4.1 Condition of Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average footfall is 10-30 visitors per day. No other occasional gathering is associated with the monument.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4. Existing Zoning if any in the local area development plans:

The monument lies under the Bishnupur Municipal Council, ward number 6. However, no zoning has been made in the state government acts and rules for this monument.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III.**

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5. Contour Plan of Temple of Vishnu, Bishenpur, District- Bishnupur, Manipur:

It may be seen at **Annexure- IV.**

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Protected Area (approx.): 2123.342 Sq.m. (0.52 acre)
- Prohibited Area (approx.): 50346.133 Sq.m (12.44 acre)
- Regulated Area (approx.): 291665.163 Sq.m. (72.07 acre)

Salient Features:

The temple of Vishnu is situated in the heart of Bishnupur, Manipur. The area near the monument is agrarian in nature; however, the monument is surrounded by pukka concrete residential, commercial and public- semi-public buildings, in the east, west and south directions.

5.1.2. Description of built up area:

Prohibited Area:

- **North:** Single storeyed buildings, metalled road, tube well, drain, light post, electric pole and very few open spaces with vegetation growth are present in this direction. This area comprises mainly of residential buildings.
- **South:** Single storeyed buildings, public and semi-public buildings, agriculture fields, metalled road, drain, tube well, light post, electric pole and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **East:** Single storeyed buildings, metalled road, tube well, drain, light post, electric pole, communication tower and very few open spaces with vegetation growth are present in this direction. This area comprises mainly of residential buildings.
- **West:** Single storeyed buildings, metalled road, tube well, drain, light post, electric pole and very few open spaces with vegetation growth are present in this direction. This area comprises mainly of residential buildings.

Regulated Area

- **North:** Single storeyed buildings, metalled road, Thongiaorok River, tube well, light post, electric pole and very few open spaces with vegetation growth are present in this direction. This area comprises mainly of residential buildings.
- **North-east:** Single storeyed buildings, Kha Lower Primary School; NH2, metalled road, Thongiaorok River, Thongiaorok Bridge, Jagannath Temple, tube well, light post, electric pole and very few open spaces with vegetation growth are present in this direction. This area comprises mainly of residential buildings.
- **South:** Few buildings and structures 3m in height, Army campus, Lainingthou food production (shopping centre), pond (water reservoir), agriculture fields,

metalled road, drain, tube well, light post, electric pole and very few open spaces with vegetation growth.

- **South-East:** Bishnupur Court, SP Office, Army campus, Ebudhou Mayangamba Laibung Temple, light post, electric pole, drain and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **East:** Single storeyed buildings, Bishnupur Police Station, NH2, metalled road, agriculture fields, light post, electric pole, drain and very few open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **West:** Single storeyed buildings, agriculture fields, metalled road, pond/ water body, drain, light post, electric pole and open spaces with vegetation growth are present in this direction.

5.1.3. Description of green/open spaces:

Prohibited Area:

- **North:** Very few open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **South:** Cultivable land, pond/water body and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **East:** Very few open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **West:** Very few open spaces with vegetation growth are present in this direction.

Regulated Area:

- **North:** Thongiaorok River and very few open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **South:** Cultivable land, pond/water body and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **East:** Cultivable land, pond/water body and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **West:** Cultivable land, pond/water body and open spaces with vegetation growth are present in this direction.

5.1.4. Area covered under circulation – roads, footpaths, etc.:

In both Prohibited and Regulated limits of the monument, numerous cartrack and metalled roads are present providing connectivity in the surrounding area. NH2 is 350 m to the east of the monument.

5.1.5. Heights of buildings (Zone wise):

- **North:** The maximum height is 3 m.
- **South:** The maximum height is 3 m.

- **South-east**: The maximum height is 9 m.
- **East:** The maximum height is 9 m.
- **West:** The maximum height is 3 m.

5.1.6. State protected monuments and listed heritage buildings by local authorities if available within Prohibited/Regulated Area:

No State Protected Monuments and listed heritage buildings by local authorities are present within Prohibited and Regulated Area.

5.1.7. Public amenities:

Well-connected footpath and benches within walking distance and a toilet are present inside the monument for visitors.

5.1.8. Access to monument:

The monument is accessible from the east gate by a metalled road. It is well connected to NH2, 350m to the east of the monument. The primary mode of transportation is by motorcycles, scooters, bicycles, cars, auto-rickshaws, etc.

5.1.9. Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

No infrastructure services except drains, street lights, are available near the monument. However, parking can be done outside the monument near the main gate.

5.1.10. Proposed zoning of the area:

No specific zoning has been made for this monument in the local area development plan**.** The following guidelines are followed in the surroundings of the monument:

i. The Manipur Municipalities Act, 1994
ii. The Bishnupur Municipality Building Bye-laws, 2000.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

Historical value:

The temple was built by King Kyamba (1467-1508 CE) in 1467 CE. Thawai Ningthouba, son of King Ning Thoukhomba ascended the throne at the age of 24. In 1470 CE King Thawai Ningthouba with the alliance of King Choupha Khekhomba, king of Pong, upper Burma, defeated the king of Kyang, of Shan Kingdom, in the Kabow valley, Burma. After the end of the war, King Thawai Ningthouba assumed the title of Kyamba, the conqueror of

Kyang. By a treaty, the conquest was equally divided between them and gifts were exchanged between the two kings. Among the presents given by the king of Pong, there was a little image of Vishnu. This image originally belonged to Manipur and was then taken away by Kekhomba's predecessor as war trophies. It is reported that King Kyamba received back the Vishnu image from Khekhomba, the king of Pong. The Vishnu image was installed in a masonry temple at Vishnupur (Lamangdong), the old capital. After installation of the image, the Lamangdong came to be known as Bishnupur or Bishenpur.

Some scholars claim that the temple belonged to King Charairongba (1697- 1709 CE) According to this theory, King Charairongba initiated to Vaishnavism and worshiped Vishnu and its incarnation. The royal chronicle did not mention the presentation of Vishnu image and construction of Vishnu temple during the Kyamba period. King Kyamba was the follower of the traditional religion and he did not initiate to Vaishnavism as well as King Choupha Khekhomba, the king of Pong, was also not a Vaishnavite. The royal chronicle did not mention the used of bricks during the Kyamba period for the construction of house and palace, bricks were not available at that time, except thatch, bamboo and wood. For the first time brick factory (chekshang) and use of bricks on a large scale began during the reign of King Charairongba for the construction of palace and temple. Many Burmese mason (craftsmen) visited Manipur during the reign of Charairongba. They helped in the construction of temples and palace, which marked the beginning of the monumental architecture in Manipur. The styles and sizes of the brick of Vishnu temple are more similar with other brick works of Charairongba's period, particularly its super structure which copied from Bengali-hut type.

Architectural value:

The temple is square on plan and stands on a slightly raised platform. It was dedicated to Lord Vishnu, but the image is no longer placed in the sanctum. The temple structure consists of *Adhisthana* (basement); *Jangha* (*bhitti*); wall and body of the temple; square *garbhagriha* with rectangular *antarala*; rectangular entrance porch facing south covered by a corbelled roof. The ceiling of the sanctum hall is curved inward by the juxtaposition of bricks until it comes to central axis. The architectural style of this temple is very much akin to that of style adopted in the buildings of Burma of the early medieval period. The temple is built of burnt bricks and lime mortar.

6.1. Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

The monument is surrounded by low rise huts/structures. Many new construction activities have come up in the recent years, due to an increase in the population of the town. Manipur lies in the very high seismically active zone (Zone V, having hazard levels of the order of 0.35-0.4g) on the seismic map of India.

6.2. Visibility from the protected monument or area and visibility from regulated area:

Visibility from all directions of Prohibited and Regulated Area to the monument- The monument is partially visible from all directions of Prohibited and Regulated Area.

Visibility from the monument- Low rise pukka houses and few open spaces with vegetation growth can be seen.

6.3. Land use to be identified:

The area near the monument up to few meters to the east, west and south is used for residential, commercial, public and semi-public purposes. After that, the area is agrarian in nature, having agricultural lands on all sides.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

No visible archaeological heritage remains, other than the protected monument is present near the monument.

6.5. Cultural landscapes:

The cultural landscape near the monument is lost due to modern construction nearby.

6.6. Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting the monument from environmental pollution:

Air and noise pollution is less in the surrounding of the monument due to the presence of agricultural fields.

6.7. Usage of open space and constructions:

The area near the monument is used mainly for residential and a few for commercial purposes. Public and semi-public buildings like police station, court are also present within the vicinity of the monument. Agriculture is also prevalent in the area on a large scale.

6.8. Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, historical and cultural activity is associated with the monument. At present, the temple has no idols or images and is no longer used for worship.

6.9. Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas :

The outline of low rise residential buildings can be seen.

6.10. Traditional architecture:

No traditional architecture is in prevalent around the monument.

6.11. Development plan as available by the local authorities:

No development plan is available with the local authorities.

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc.): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 9.0 mtr. (All inclusive)

(b) Floor area: FAR will be as per local bye-laws.

(c) Usage: As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design:

- The façade design should match the monument.
- French doors and large glass façades along the front street or along staircase shafts will not be permitted.

(e) Roof design:

The following sloping roof design may be followed:

- Houses covered with corrugated sheet roofing
- Houses with thatches and bamboo column roofing.

(f) Building material: Traditional materials may be used.

(g) Colour: Neutral colours matching with the monument may be used.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, toilets, cafeteria, drinking water ramp for differently abled, Wi-Fi, and braille should be available at the site.

CHAPTER VII
Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks:

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections:

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the ‘obstruction free’ path of the street. The streets shall be provided with the ‘obstruction free’ path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages:

- LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations:

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक

ANNEXURES

अनुलग्नक -I

ANNEXURE-I

विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर की संरक्षित सीमा

Protected boundary ofTemple of Vishnu, Bishenpur, District- Bishnupur, Manipur

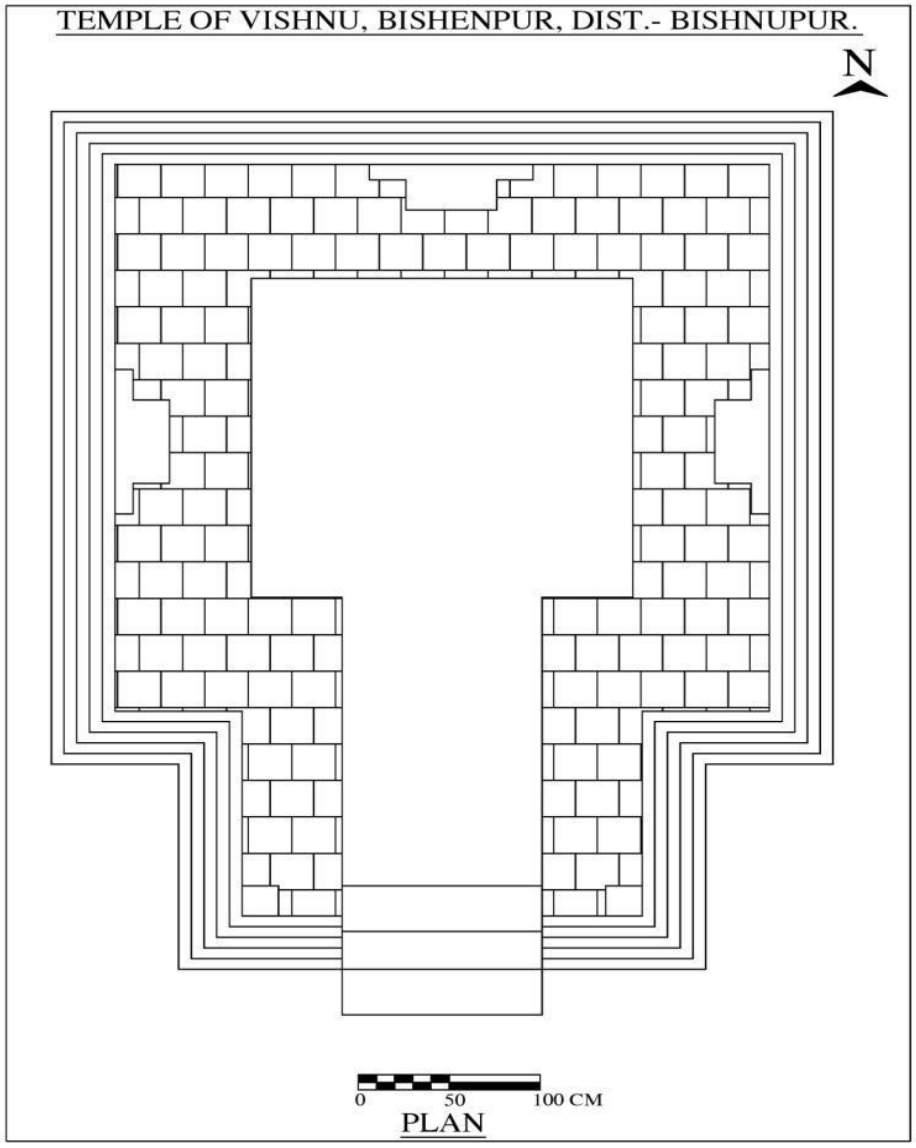

अनुलग्नक –II
ANNEXURE-II

विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर की अधिसूचना
Notification of Temple of Vishnu, Bishenpur, District- Bishnupur, Manipur

यह संस्मारक- विष्णु मंदिर के नाम से, अधिसूचना संख्या सा.नि.आ. 326 के माध्यम से 16 जनवरी, 1954 को संरक्षित किया गया था। अधिसूचना के अनुसार, संस्मारक का क्षेत्रफल 606 एकड़ दर्शाया गया है, जबिक मानचित्र में/परिमंडल कार्यालय के द्वारा तैयार किए गए मानचित्र में वास्तविक संरक्षित क्षेत्रफल लगभग 0.52 एकड़ दर्शाया गया है। क्षेत्रफल में विसंगतियों का कारण ज्ञात नहीं है।

MINISTRY OF EDUCATION

(ARCHAEOLOGY)

New Delhi, the 4th November 1952

S.R.O. 1843.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Central Government is pleased to declare the ancient monument (temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State) described in the amended schedule annexed hereto as protected within the meaning of the said Act.

SCHEDULE

1. Mauza.—Circle No. IV Bishenpur Tehsil
2. Description of the monument.—The temple of Vishnu at Bishenpur
3. Survey Plot No.—1148
4. Area in acre.—606 only
5. Ownership—
   1. Laisram Ningol Ningthojam Ongter Rajani Debi W/o Asangbi Singh of Bishenpur Kha.
   2. Laisram Irahat Singh S/o the late Modher Singh of Bishenpur Kha.
6. Boundary—

N. Plot No. 1149—Foot path.
S. Plot No. 1147—Ningombham Mangol Widow of Bishenpur Kha.
E. Plot No. 1156—Foot path.
E. Plot No. 1290—Laisram Madhu Singh.
E. Plot No. 1407—Fanjoubam Paka Singh.
W. Plot No. 1145 Nongmaithem Yaima Singh.
W. Plot No. 1146—Laisram Thamboumacha Singh.

[No. F. 4-9/52-A. 2.]

T. S. KRISHNAMURTI Asstt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 16th January 1954

S.R.O. 320.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Central Government hereby confirms its notification No. F.4-9/52-A.2, dated the 9th July, 1952 declaring the ancient monument (temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State) described in the schedule annexed to the said notification to be a protected monument within the meaning of the said Act.

[No. F.4-9/52-A.2.]

T. S KRISHNAMURTI, Under Secy.

अधिसूचना की टंकित प्रति

MINISTRY OF EDUCATION (ARCHAEOLOGY) New Delhi, the 4th November 1952

S.R.O. 1843.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Central Government is pleased to declare the ancient monument (temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State) described in the amended schedule annexed hereto as protected within the meaning of the said Act.

SCHEDULE

1. Mauza – Circle No. IV Bishenpur Tehsil
2. Description of the monument – The temple of Vishnu at Bishenpur
3. Survey Plot No. – 1148
4. Area in acre – 606 only
5. Ownership –
    i. LaisramNingolNingthojamOngterRajani Debi W/oAsangbi Singh of BishenpurKha.
    ii. LaisramIrahat Singh S/o the late Modher Singh of BishenpurKha.
6. Boundary –
    N. Plot No. 1149 – Footpath
    S. Plot No. 1147 – NingombhamMangol Widow of BishenpurKha.
    E. Plot No. 1156 – Foot path.
    E. Plot No. 1290 – LaisramMadhu Singh
    E. Plot No. 1407 – FanjoubamPaka Singh.
    W. Plot No. 1145 – NongmaithemYaima Singh.
    W. Plot No. 1146 – LaisramThamboumacha Singh.

[No.F. 4-9/52-A. 2.]
T.S. KRISHNAMURTHI Asstt.Secy.

MINISTRY OF EDUCATION ARCHAEOLOGY New Delhi, the 16th January 1954

S.R.O. 320.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Central Government hereby confirms its notification No. F.4-9/52-A.2, dated the 9th July, 1952 declaring the ancient monument (temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State) described in the schedule annexed to the said notification to be a protected monument within the meaning of the said Act.

[No. F.4-9/52-A.2.] T.S.
KRISHNAMURTI, Under Secy.

अनुलग्नक-III

स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश

मणिपुर नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अनुसार:

i. अध्याय **II** (नगरपालिकाओं का गठन), धारा (3) में, राज्यपाल, अधिसूचना के द्वारा: (ख) एक छोटे शहरी क्षेत्र हेतु एक नगर परिषद् का गठन करेगा।

ii. अध्याय **X** (नगरपालिका शक्तियां और अपराध), धारा (125)-**ऐसे मामलों के लिए विशेष प्रावधान जहाँ उप-विधियां नहीं बनाई गई हैं** -

किसी भी मामले में जिसमें इस अधिनियम के तहत कोई उप-विधियां नहीं बनाई गई हैं, नगर पंचायत या यथा मामला, परिषद, धारा 124 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित नोटिस की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर, ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा नोटिस दिया है, उसे नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर ऐसे किसी भी मामले से संबंधित जानकारी, सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है, जिसके लिए उपनियम संभवतः बनाए गए हों और ऐसे मामले में नोटिस तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई हो।

iii. इस अधिनियम के अध्याय **XIV (**विधि और उप-विधि),धारा (209) में - **उप-विधियों को बनाने के लिए नगरपालिका की शक्ति**.- (1) नगरपालिका, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एवं इसके अधीन बनाए गए विधियों की संगतता में उप-विधियों को बना सकती है।

1. **नए निर्माण, इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमत्य भूमि आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)/ तल स्थान अनुपात (एफएसआई) और ऊँचाइयाँ**

निर्माण के सामान्य विधि - विष्णुपुर नगरपालिका भवन उप-विधि, 2000 के अनुसार लागू होंगे।

विष्णुपुर नगरपालिका भवन उप-विधि, 2000 के अध्याय III (अपेक्षाएं) के अनुसार:

(क) धारा 23 : विभिन्न श्रेणियों के भवनों का अधिकतम आवृत्त क्षेत्रफल निम्न प्रकार से होगा:-

i. बाजार अथवा मार्केट क्षेत्र में:
आवृत्त क्षेत्रफल, स्थल के क्षेत्रफल के 80% से अधिक नहीं होगा बशर्ते कि भवन के उसी भूखंड पर, वाहनों से सामान उतारने और चढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से गली से हटकर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करायी गई हो।

ii. औद्योगिक इमारत के मामले में:
आवृत्त क्षेत्रफल स्थल के क्षेत्रफल के 50% से अधिक नहीं होगा।

iii. आवासीय क्षेत्र में:
आवृत्त क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल के 60% से अधिक नहीं होगा।

(ख) धारा 24:

i. व्यावसायिक या बाजार के क्षेत्र के लिए तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) 1.5 होगा। इसे 2.4 तक बढ़ाया जा सकेगा बशर्ते कि भूखंड में या इसके आसपास पर्याप्त

पार्किंग स्थल उपलब्ध हो।

ii. औद्योगिक अथवा सांस्थानिक इलाके हेतु एफ.ए.आर 0.5 होगा।

2. **प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवाजाही - सड़क की** ऊपरी सतह**, पैदलपथ, मोटर-रहित परिवहन आदि**।

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवाजाही - **सड़क की** ऊपरी सतह, पैदलपथ , मोटर-रहित परिवहन आदि के संबंध में उपर्युक्त अधिनियम और विनियमों में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं।

3. गली-दृश्य, भवन का अग्रभाग और नवीन निर्माण

गली-दृश्य, भवन का अग्रभाग और नवीन निर्माण के संबंध में उपर्युक्त अधिनियम और विनियमों में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं।

ANNEXURE-III

LOCAL BODIES GUIDELINES

As per the Manipur Municipalities Act, 1994:

i. In Chapter II (Constitution of Municipalities), Section (3), the Governor shall by notification, constitute: a Municipal Council for a smaller urban area.

ii. In Chapter X (Municipal power and offences), Section (125)- **Special provision for cases where bye-laws have not been made**.—In any case in which no bye-laws have been made under this Act the Nagar Panchayat or as the case may be, the Council may, within fourteen days of the receipt of the notice required by sub-section (*2*) of section 124, require a person who has given such notice to furnish, within one week of the receipt by him of the requisition, information on all or any of the matters as to which bye-laws might have been made and in such case the notice shall not be valid until such information has been furnished. iii. In Chapter XIV (Rules and Bye-laws), Section (209), of the same act- **Power of municipality to frame bye-laws**.—(1) A municipality may, frame bye-laws consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder for carrying out the provisions of this Act.

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the regulated area for new construction, Set Backs:

The general rules of construction shall be applicable as per- **The Bishnupur Municipality Building Bye-laws, 2000.**

As per Chapter III (Requirements), of The Bishnupur Municipality Building Bye-laws, 2000:

(a) Section 23: The maximum covered area of building of different classes shall be as under:-

i. In a bazaar or market area: The covered area shall not exceed 80% of the area of the site provided that sufficient off-street parking facilities for loading and unloading of vehicles are provided on the same plot of the building.

ii. In case of industrial buildings: The covered area shall not exceed 50% of the total site area.

iii. In residential area: Shall not be more than 60% of the total area.

(b) Section 24:

i. FAR for commercial or Bazar area will be 1.5. It may be raised to 2.4 provided adequate parking spaces is available in and around the plot.

ii. FAR for industrial or institutional area will be 0.5.

iii.

2. **Mobility with the prohibited and regulated area- road surfacing, pedestrian ways, non-motorized transport, etc.:**

   No specific guidelines are made in the above said act and regulations regarding mobility within the prohibited and regulated area- roads facing, pedestrian ways, non-motorized transport, etc.

3. **Streetscapes, facades and new construction**

   No specific guidelines are made in the above said act and regulations regarding streetscapes, facades and new construction.

अनुलग्नक -IV
ANNEXURE-IV

विष्णु मंदिर, बिशेनपुर, जिला - विष्णुपुर, मणिपुर की सर्वेक्षण योजना
Survey Plan for Temple of Vishnu, Bishenpur, District- Bishnupur, Manipur

अनुलग्नक-V
ANNEXURE-V

संस्मारक और आसपास के क्षेत्र के चित्र
Images of the Monument and its surroundings

प्लेट 1 : संस्मारक का विहंगम दृश्य
Plate 1. Ariel view of the monument

प्लेट 2, दक्षिण-पूर्व से संस्मारक का दृश्य
Plate 2.View of the monument from south-east

प्लेट 3, विष्णु मंदिर

Plate 3. Temple of Vishnu

प्लेट 4, संस्मारक के आसपास के क्षेत्र का दृश्य

Plate 4.View of the surroundings of the monument

प्लेट 5, संस्मारक के आसपास का क्षेत्र

Plate 5. Surroundings of the monument